राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–18/एम/नियु0/मृआ/2017/687 दिनांक 13/11/2017

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवामें, राजस्थान जयपुर द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंषा पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है । परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्नलिखित मृतक आश्रितों को राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा नियत 14600/– रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से लेवल इन पे–मेट्रिक्स एल–5 अनुज्ञात किया जावेगा।

क्र0 सं0	आश्रित /मृतक कर्मचारी का नाम/ पता	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु दी गई अभिशंषा का क्रमांक व दिनांक
1	श्री मुशर्रफ अहमद अंसारी पुत्र स्व0 श्री मोहम्मद युनुस अंसारी नर्स श्रेणी–II मोमिनपुरा, सुनेल जिला झालावाड	09.06.96	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड के अधीन	4292 दिनांक 07.12.15
2	श्रीमती पुष्पलता कुम्भार पत्नी स्व0 श्री भूराराम कुम्हार, नर्स श्रेणी–II सर्वोदय बस्ती, नृसिंग सागर तालाब के पास, बीकानेर	19.06.83	अधीक्षक, पी.बी.एम. एवं सम्बद्व चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर	11191 दिनांक 03.05.17
3	श्री शुभम चौधरी पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार जाट, नर्स श्रेणी–I 74/5ए, परमहंस मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।	21.04.95	निदेशालय मुख्यालय	7890 दिनांक 20.07.17
4	श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र स्व0 श्री छोटू सिंह राजपूत, लि0ग्रे0–प्रथम मु0पो0 बोरडा बावरियान तह0 शाहपुरा जिला भीलवाडा।	05.06.86	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ के अधीन	5831 दिनांक 12.07.17
5	श्री बालकिशन पुत्र स्व0 श्री भगवाना राम, वार्ड बॉय पुरानी पुलिस लाईन झुपाघाट, सिरोही।	12.07.94	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के अधीन	3285–86 दिनांक 19.06.15
6	श्री सुनील कुमार मेघवाल पुत्र स्व0 श्री चैनाराम मेधवाल स्वा0कार्य0पुरूष झालरा रोड, मकराना मोहल्ला, जोधपुर।	01.09.93	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के अधीन	20595 दिनांक 12.07.17
7	श्री रूपेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामप्रताप, नर्स श्रेणी–II ग्राम पो0 चाहूवाली, टिब्बी, रावतसर हनुमानगढ।	12.08.94	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ के अधीन	1954–55 दिनांक 28.07.15
8	श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगमोहन शर्मा, च0श्रे0कर्म0 ए–10, गोर्वधनपुरी, गलता गेट जयपुर	08.07.87	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एस.आर. गोयल चिकित्सालय सेठी कॉलोनी, जयपुर	245 दिनांक 03.05.17

Contd/

9	श्री आशीष यादव पुत्र स्व0 श्री शिवराम यादव, नर्स श्रेणी–II ग्राम कासली ढाणी हिरोडा तहसील कोटपूतली, जयपुर।	08.07.99	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय के अधीन	124 दिनांक 29.04.16
10	श्री विवेक कुमार जोशी पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार जोशी, लि0ग्रे0–प्रथम गोपीनाथजी मंदिर के पीछे, भोजलाई बास पोस्ट सुजानगढ़ जिला–चुरू।	23.02.95	निदेशालय मुख्यालय	586 दिनांक 26.06.15
11	श्री प्रदीप बोहरा पुत्र स्व0 श्रीमती चन्द्रकला बोहरा, म0स्वा0कार्यकर्ता निवासी खाण्डा फलसा निब्ला कुंआ पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पीछे, जोधपुर।	12.02.84	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के अधीन	5857 दिनांक 17.03.17
12	श्री हिरेन सिंह गहलोत पुत्र स्व0 श्रीमती नीता देवडा, ए.एन.एम. निवासी गोल, महरों का बास, शिव छतरी के पास, लाडनू हाउस के पीछे, जडलो का चौक, जोधपुर।	31.01.99	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर के अधीन	18441 दिनांक 14.09.16
13	श्री इरविन हेनरी पुत्र स्व0 श्रीमती जॉइस जॉन, ए.एन.एम. मकान नं0 129, कैलाशपुरी कोटा ।	29.09.93	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा के अधीन	1347 दिनांक 27.07.17
14	श्रीमती कविता मीना पत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश मीना, नर्स श्रेणी–II ए/06/14 चिनाव अपार्टमेंट प्रताप नगर, सेक्टर 28, सांगानेर, जयपुर।	04.03.87	निदेशालय मुख्यालय,	7284 दिनांक 21.08.17
15	श्रीमती सरोज बाई मीणा पत्नी स्व0 डॉ0 रामस्वरूप मीना, चिकि0अधिकारी ग्रा0पो0 खेडला गदाली तह0 महवा, दौसा।	17.07.83	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के अधीन	2345 दिनांक 19.07.16
16	श्री गौरव परिहार पुत्र स्व0 श्री प्रदीप कुमार परिहार, नर्स श्रेणी–I नि0–क–21, बसन्त विहार, सेक्टर–5, हिरणमगरी, उदयपुर–313002।	30.03.93	अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्यालय, उदयपुर।	101 दिनांक 24.07.17
17	श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह च0श्रे0कर्म0, ग्राम जादूवास पो0 उजोली तह0 कोटकासिम अलवर।	08.12.92	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन	993 दिनांक 11.05.17
18	सुश्री कुन्तेश कुमारी पुत्री स्व0 श्री समुन्द्र सिंह, वार्ड बॉय ग्राम मानपुरा, पोस्ट बीलेटा, तहसील राजगढ जिला अलवर ।	08.08.94	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन	1615 दिनांक 20.07.17
19	श्री जितेन्द्र मेहरा पुत्र स्व0 श्रीमती दमयन्ती मेहरा, म0स्वा0का0 बी–83, फ्रेन्डस कॉलोनी, पांच्यावाला, जयपुर	28.09.81	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम के अधीन	669 दिनांक 23.06.17
20	श्री अविनाश मिश्रा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा, कार्यालय सहायक 820, बरकत नगर, पानी की टंकी के पास, शान्ति निकेतन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।	09.08.77	निदेशालय, मुख्यालय	लागू नही

क्रम संख्या 20 पर अंकित श्री अविनाश मिश्रा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा को मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितो की भर्ती नियम–1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग की आई. डी. संख्या 26/ए2/कार्मिक दिनांक 29.05.2017 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग की आई. डी. संख्या 1009 दिनांक 21.06.2017 से अनुमोदनोपरांत नियुक्ति प्रदान की जाती है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मृतक आश्रित के रूप में नवनियुक्त उक्त आश्रितों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

Contd-

उक्त आवेदकों का संबंधित अधिकारी नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें, परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 17 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में उस विद्यालय का जिसमें अंतिम शिक्षा पायी है, के प्रधान शैक्षिक अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो विद्यालय से संबंधित न हो और न कोई रिश्तेदार हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि,शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे। मृतक आश्रित आवेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से आवश्यक रूप से करवाये।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.03.04 के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत उपरोक्त मृतक आश्रित अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण–पोषण करेंगे । नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प05(51)कार्मिक/क–2/88पार्ट दिनांक 21.09.10 के अनुसार कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति पश्चात एक वर्ष के भीतर परिपत्र क्रमांक एफ07(2)कार्मिक/क–2/06 दिनांक 05.07.10 में वर्णितानुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत स्थायीकरण हकदारी हेतु/वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संदर्भ में 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में ही टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो वर्ष में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाती है तो आगामी एक वर्ष परिवीक्षा काल बढाया जा सकेगा जिससे बढी हुई अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसा न होने पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी । टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किये जाने पर विभाग/संबंधित अधिकारी के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा । कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ (51) डीओपी/ए–2 88 पार्ट दिनांक 14.06.2013 के अनुसार मृतक आश्रित के रूप मे कनिष्ठ सहायक पद नियुक्त विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जाती है।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के कम में संबंधित मु.चि. एव स्वा. अधि./प्रमुख चिकि. अधि./अधीक्षक सामुहिक चिकित्सालय संघ/आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदक की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य होगी।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा ।

Contd–

(4)

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के परिपत्र/ज्ञापन कमांक एफ15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश कमांक एफ6(4)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 आदेश कमांक एफ6(5)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 परिपत्र कमांक एफ1(4)एफडी/रूल्स/2017–I–II दिनांक 30.10.2017 एवं परिपत्र कमांक एफ12(9)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों से शासित होगी ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– ई–18/एम/नियु0/मृआ/2017/687 दिनांक 13/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर
3– संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुंप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5– वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
6– संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन .... ।
7– संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह................/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,........ ..../प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.................. को भेजकर लेख है कि संबंधित मृतक आश्रित का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये।
नोटः–सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्टर्ड पत्र)
8– प्रभारी, सामान्य अनुभाग अराजपत्रित, मुख्यालय ।
9– प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10–संबंधित मृतक आश्रित को घर के पते पर।
11–आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।